(1)

प्रेस–नोट

औद्योगिक क्षेत्र, पटना (शहरी) के अन्तर्गत एयरपोर्ट कैम्पस से सटे बियाडा की कुल भूमि 1.85 एकड़ भूमि (रास्ता सहित) भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, पटना को निःशुल्क हस्तान्तरण करने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय से उक्त भूमि को एयरपोर्ट संबंधित आधारभूत संरचना अथवा अन्य कार्यो हेतु उपयोग में लाया जा सकता है।

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

(2)

प्रेस–नोट

उद्योग विभाग के संकल्प ज्ञापांक–3223 दिनांक–26.08.2025 द्वारा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज, 2025 लागू है। यह पैकेज 31 मार्च 2026 तक के लिए प्रभावी है। निवेशकों की अभिरूचि को देखते हुए पैकेज का अवधि विस्तार दिनांक 30 जून 2026 तक किया गया है।

इससे राज्य में औद्योगिक निवेश की निरंतरता बनी रह सकेगी।

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

(3)

।। प्रेस नोट ।।

राज्य सरकार के सात निश्चय–3 के संकल्प–7, सबका सम्मान–जीवन आसान, के अंतर्गत आधुनिक तकनीक, नवाचार और संवेदनशील और जवाबदेह शासन से हर नागरिक का जीवन सरल बनाने के उद्देश्य से राज्य में वाणिज्यिक गतिविधि को प्रोत्साहन देने एवं भवन निर्माण से जुड़ी अनुमति प्रक्रिया को सरल एवं तीव्र करने के लिए बिहार भवन (संशोधन) उपविधि, 2026 की स्वीकृति प्रदान की गयी, जिससे वाणिज्यिक भूमि की हानि को कम किया जा सकेगा तथा राज्य में तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण शहरो पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सकेगा।

(विनय कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

(4)

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेस–नोट

नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2026 में वरिष्ठ नागरिकों, शारीरिक रूप से दिव्यांग, असाध्य रोग से ग्रसित अथवा अपने स्थान से प्रवासित मतदाता द्वारा सुगमतापूर्वक यथास्थान मतदान करने के उद्देश्य से e-voting System का उपयोग करने हेतु नामांकन के आधार पर कुल ₹ 31.4588 लाख (GST सहित) (एकतीस लाख पैतालिस हजार आठ सौ अस्सी रूपये) मात्र के अनुमानित व्यय पर C-DAC, हैदराबाद को एजेंसी के रूप में कार्य करने की स्वीकृति के संबंध में।

(विनय कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग।

(5)

प्रेस नोट

आरा जिलान्तर्गत एजेण्डा संख्या–244/38/2026 के तहत बक्सर कोईलवर गंगा तटबंध के कि0मी0 58.00 से कि0मी0 59.20 के सामने गंगा नदी के दायाँ तट पर ग्राम गंगापुर, भुसौला, नन्दपुर एवं दामोदरपुर (जवईनिया) में कटाव निरोधक कार्य कराया जाना है। प्रस्तावित योजना की प्राक्कलित राशि–5256.41 लाख रुपये (बावन करोड़ छप्पन लाख इकतालीस हजार रुपये मात्र) है।

इस योजना के कार्यान्वयन से आरा जिला के शाहपुर प्रखंड में गंगा नदी के दायाँ तट पर अवस्थित गंगापुर, भुसौला, नन्दपुर एवं दामोदरपुर (जवईनिया) ग्राम को गंगा नदी के कटाव से सुरक्षा मिल सकेगी।

इस प्रकार यह योजना काफी लाभप्रद एवं जनोपयोगी है।

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग, पटना

6

प्रेस नोट

प्रस्तावित योजना, जिसकी प्राक्कलित राशि 5755.34 लाख (संतावन करोड़ पचपन लाख चौंतीस हजार रुपये मात्र) है, के तहत् गंगा नदी के बायें किनारे बल्लीटोला से सबलपुर पछियारी टोला तक कटाव निरोधक कार्य का प्रावधान है।

इस योजना के कार्यान्वयन से सारण जिलान्तर्गत सोनपुर प्रखंड के बल्लीटोला से सबलपुर पछियारी टोला के बीच 1890 मीटर की लंबाई में मेगा जीयो बैग बेस के ऊपर रूपांकण के अनुसार क्रेटेड बोल्डर से रिभेटमेन्ट कार्य तथा स्लोप पिचिंग/ ऐज क्रेटिंग कार्य कराया जाना है, जिससे गंगा नदी के बायें तट पर बसे बल्लीटोला से सबलपुर पछियारी टोला के बीच के क्षेत्र को गंगा नदी के कटाव से सुरक्षा मिल सकेगी।

इस प्रकार यह योजना काफी लाभप्रद एवं जनोपयोगी है।

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग, पटना

प्रेस नोट

(7)

प्रस्तावित योजना, जिसकी प्राक्कलित राशि 6412.53 लाख (चौंसठ करोड़ बारह लाख तिरपन हजार रुपये) है, के तहत् गंगा नदी के बायें तट पर अवस्थित ग्राम–गनियारी के समीप कटाव निरोधक कार्य का प्रावधान है।

इस योजना के कार्यान्वयन से वैशाली जिलान्तर्गत सहदेई बुजुर्ग प्रखंड के ग्राम गनियारी के समीप 1710 मीटर की लंबाई में रूपांकण के अनुसार एन. सी. बेस के ऊपर क्रेटेड बोल्डर से रिवेटमेंट कार्य कराया जाना है, जिससे गंगा नदी के बायें तट पर अवस्थित ग्राम– गनियारी एंव इसके आस–पास के क्षेत्रों को गंगा नदी के कटाव से सुरक्षा मिल सकेगी।

इस प्रकार यह योजना काफी लाभप्रद एवं जनोपयोगी है।

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग, पटना

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

पी0एम0 ई–बस सेवा योजना के तहत् 400 ईलेक्ट्रिक ए0सी0 बसों को पटना में 150 तथा मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा एवं पूर्णियाँ में 50–50 बसों का परिचालन किया जाना है। उक्त योजना का कार्यान्वयन संभावित वित्तीय वर्ष 2026–27 से अगले 12 वर्षों तक किया जाना है।

इस योजनान्तर्गत 400 ईलेक्ट्रिक ए0सी0 बसों के 12 वर्षों तक परिचालन से होने वाले घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा Cash Gap Subsidy के रूप में स्वीकृत राशि 203.20 करोड़(दो सौ तीन करोड़ बीस लाख मात्र) रूपये में 313.96 (तीन सौ तेरह करोड़ छियानवे लाख मात्र)रू0 की अतिरिक्त वृद्धि के आधार पर कुल पुनरीक्षित राशि 517.16 करोड़ (पाँच सौ सत्रह करोड़ सोलह लाख मात्र) रूपये के वर्षवार व्यय की स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

(राज कुमार)
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

संचिका संख्या– वि. प्रा. (III) योजना –33/ 2015

प्रेस नोट

बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान (बी0 आई0 टी0) मेसरा, रॉची का पटना में स्थापित विस्तार केन्द्र के लिए विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना एवं बी0 आई0 टी0, मेसरा, रॉची के बीच किये गये समझौता ज्ञापन (MoU) की अवधि को दिनांक–17.12.2015 से 16.12.2030 तक विस्तारित किये जाने पर स्वीकृति प्रदान की गई है।

हस्ताक्षर :–

नाम :– लोकेश कुमार सिंह

पदनाम :– सचिव

विभाग का नाम :– विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेस नोट

सप्तम राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रतिवेदन समर्पित करने की अवधि दिनांक–31.03.2026 तक थी। आयोग के अनुरोध के आलोक में आयोग का कार्यकाल दिनांक–30.09.2026 तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है ।

22.4.26

(रचना पाटिल)
सचिव (व्यय)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

(11)

प्रेस नोट

राज्य के मेधावी छात्रों के राज्य से बाहर चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई हेतु पलायन रोकने, चिकित्सकों की कमी को कम करने एवं राज्य में रोगियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के सीतामढ़ी जिला में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल निर्माणाधीन है।

सीतामढ़ी बिहार के मिथिला क्षेत्र में स्थित एक अत्यंत पावन धार्मिक स्थल है, जो मुख्य रूप से **माँ** सीता की जन्म भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। यह रामायण काल से जुड़ा एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जो हिन्दु श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है।

वर्णितस्थिति में यह अपेक्षित पाया गया है कि सीतामढ़ी के ऐतिहासिक एवं धार्मिक पृष्ठभूमि को देखते हुए यहाँ अवस्थित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का नामकरण **माँ** सीता के नाम पर किया जाय।

इससे राजकोष पर किसी प्रकार का व्यय भार नहीं पड़ेगा।

सीतामढ़ी जिला में अवस्थित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का नामकरण परिवर्तित करते हुए **माँ** सीता चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, सीतामढ़ी करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे सीतामढ़ी जिले का रामायण काल से धार्मिक महत्व परिलक्षित होगा।

06/05/2026

(मृणायक दास)
सरकार के विशेष सचिव

बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग
प्रेस नोट

12

शोध, नवाचार एवं इस क्षेत्र के अग्रणी उद्योग एवं संस्थाओं का सहयोग प्राप्त कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में बिहार राज्य एक अग्रणी केन्द्र के रूप में स्थापित हो, के उद्देश्य से बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन का गठन किया गया है। मिशन के उद्देश्यों में से एक प्रमुख उद्देश्य राज्य में तकनीकी संस्थानों के माध्यम से AI के क्षेत्र में शिक्षण/प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना, जिससे कि कृत्रिम बुद्धिमता आधारित (AI) प्रौद्योगिकी अनुकूलन को बढ़ावा मिले।

अतएव राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि बिहार राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों तथा राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को NUS, C-DAC, Patna, IIT Patna, NIELIT, Patna, CIMP की संबंद्धता से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया जाय।

AI प्रशिक्षण के माध्यम से AI Enabled System की समझ विकसित कर प्रशासनिक व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन, मानव संसाधन का उपयोग, आधारभूत संरचना का निर्माण, कृषि जनित क्षेत्र, समाज कल्याण, कला संस्कृति एवं पर्यटन के विकास में प्रभावकारी परिणाम लाया जा सकता है। इससे राज्य सरकार की व्यवस्था एवं सेवाएँ पारदर्शी, जवाबदेह एवं डेटा आधारित हो सकेंगी।

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

13

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट ।।

राज्य के चयनित शहरी केन्द्रों को आर्थिक रूप से सशक्त एवं उत्पादक बनाने तथा एकीकृत शहरी आर्थिक क्षेत्रों के विकास के लिए विश्व बैंक से 500 मिलियन डॉलर ऋण की सहायता प्राप्त कर बिहार अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन प्रोग्राम क्रियान्वित करने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

शहरी क्षेत्रों का सुनियोजित विकास, शहरों में आर्थिक एवं आधारभूत संरचना का निर्माण एवं शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, यह कार्यक्रम राज्य में सतत, जलवायु–संवेदनशील एवं आर्थिक रूप से सशक्त शहरीकरण की दिशा में एक प्रमुख पहल होगा, जिससे दीर्घकालिक शहरी विकास एवं निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।

(विनय कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

प्रेस नोट

(14)

पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output - Performance Based Road Asset Maintenance Contract) प्रणाली के तहत राज्य अन्तर्गत पथ निर्माण विभाग के कुल **19305.58** कि0मी0 पथांश लंबाई के पथों के संधारण कार्य, केन्द्रीकृत कन्ट्रोल एवं कमांड सेन्टर एवं AI/ML तकनीक द्वारा पथों के निरीक्षण/अनुश्रवण कार्य हेतु कुल राशि **1596703.42** लाख (पन्द्रह हजार नौ सौ सड़सठ करोड़ तीन लाख बेयालीस हजार) रूपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

विषयांकित योजना में राज्य के 19305.58 कि0मी0 पथों का संधारण कार्य सात वर्षों हेतु 100 पैकेजों के अधीन कराया जाएगा।

इसके अतिरिक्त पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले राज्य उच्च पथ, महत्वपूर्ण पुल तथा अन्य महत्वपूर्ण पथों पर Road User Fees Collect किया जायेगा। इस हेतु Bihar Road User Fees (Determination of Rates & Collection) Rules 2026 का गठन प्रक्रियाधीन है, जिसपर अगले एक माह के भीतर सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

Bihar Road User Fees (Determination of Rates & Collection) Rules 2026 के अधिसूचित किये जाने के उपरांत तीन माह के भीतर User Fees की वसूली, इस हेतु चयनित अन्य संवेदक से कराते हुए प्राप्त राजस्व राज्य सरकार के खाता में जमा किया जायेगा। उक्त प्रस्तावित Road User Fees Rule के अधीन Fees वसूली के लिए संरचनाओं के चयन हेतु पथ निर्माण विभाग अधिकृत होगा।

उपर्युक्त व्यवस्था से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

15

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

अरवल जिलान्तर्गत अंचल—करपी के मौजा—झिकटिया, थाना सं0—227, खाता सं0—61, खेसरा सं0—51 कुल प्रस्तावित रकवा—05 एकड़ गैरमजरूआ मालिक परती कदीम भूमि पर केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को एक रूपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षो के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :—
नाम :— जय सिंह
पदनाम :— सचिव

16

बिहार सरकार
विधि विभाग

मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु संलेख के निमित्त आत्मभारित टिप्पणी सहित प्रेस नोट।

राज्य में बढ़ते मुकदमों के त्वरित निष्पादन के उद्देश्य से बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के अधीन दरभंगा न्यायमंडल के अंतर्गत बेनीपुर अनुमंडलीय न्यायालय एवं मधुबनी(सदर) न्यायमंडल में एक–एक जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के लिए अराजपत्रित कोटि के कुल 18 विभिन्न पदों के सृजन की आवश्यकता है। इन पदों के सृजन के फलस्वरूप इनके स्थापना व्यय के रूप में राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष कुल रु0– 1,02,88,224/–(एक करोड़ दो लाख अठासी हजार दो सौ चौबीस रूपये) मात्र का अनुमानित व्यय भारित होगा।

B.B. Mehrotra 30.04.16

(बासनो शंकर मेहरोत्रा)
सरकार के सचिव(प्र0), बिहार।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के पत्रांक–503

दिनांकः–22.06.2022 के आलोक में

विभाग का नामः– वित्त विभाग, बिहार, पटना

संचिका संः–08/एन0बी0एफ0सी0–05/2026

प्रेस नोट

बिहार सरकार के सरकारी सेवकों एवं पेंशनभोगियों की आकस्मिक एवं अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक सुलभ, पारदर्शी एवं विनियमित व्यवस्था बैंकों/वित्तीय संस्थानों के माध्यम से प्रदान कराना, वित्तीय आवश्यकता होने पर ऋण प्राप्त करने के क्रम में अनियमित एवं शोषणकारी ऋणदाताओं पर निर्भरता को शून्य करना एवं बैंकों/वित्तीय संस्थानों के माध्यम से वेतन अथवा पेंशन के विरूद्ध अल्पावधि वेतन/पेंशन अग्रिम एवं दीर्घकालिक वेतन/पेंशन आधारित ऋण की सुविधा बैंकों/वित्तीय संस्थानों से उपलब्ध कराने के प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के उपरांत अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है।

(आनन्द किशोर)
अपर मुख्य सचिव

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेस नोट

माननीय राज्यपाल एवं राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना के पदाधिकारियों के उपयोग के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 06 (छः) अद्द नये मोटर वाहन के क्रय हेतु मांग संख्या-05 अन्तर्गत ₹1,53,00,000/- (एक करोड़ तिरपन लाख रूपये) मात्र का बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम एवं व्यय की स्वीकृति।

(अखिलेश कुमार सिंह)
अपर सचिव

19

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

शेखपुरा जिलान्तर्गत अंचल–शेखपुरा के मौजा–कटनीकोल, थाना सं0–195, खाता सं0–97, खेसरा सं0–01, रकवा– 04.35 एकड़ एवं मौजा–जमुआरा, थाना सं0–196, खाता सं0–40, खेसरा सं0–01, रकवा–0.65 एकड़ सहित कुल प्रस्तावित रकवा–05.00 एकड़ गैरमजरूआ मालिक भूमि पर केन्द्रीय विद्यालय, शेखपुरा के निर्माण हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को एक रूपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :–
नाम :– जय सिंह
पदनाम :– सचिव

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

शेखपुरा जिलान्तर्गत अंचल–शेखोपुरसराय के मौजा–नीमी, थाना सं0–10, खाता सं0–527, खेसरा सं0–4506 की कुल प्रस्तावित रकवा–04 एकड़ 56.74 डी0 गैरमजरूआ मालिक भूमि पर केन्द्रीय विद्यालय, शेखोपुरसराय (शेखपुरा) के निर्माण हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को एक रूपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :–
नाम :– जय सिंह
पदनाम :– सचिव